

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 821, 822, 823 व 824 / 2013 / हनुमानगढ़

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवचन, श्रीगंगानगर

.....अपीलार्थी

बनाम

मै0 चाण्डक एग्रो इक्यूपमेन्ट्स
12-न्यू मार्केट न0 2, हनुमानगढ़ टाउन

.....प्रत्यर्थी

2. कास आज्जेक्षण – 1534, 1535, 1536 व 1537 / 2013 / हनुमानगढ़
मै0 चाण्डक एग्रो इक्यूपमेन्ट्स
12-न्यू मार्केट न0 2, हनुमानगढ़ टाउन

अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवचन, श्रीगंगानगर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री बी के मीणा, अध्यक्ष
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित :

श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषकव्यवहारी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,
उप-राजकीय अभिभाषकविभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 01 / 09 / 2015

निर्णय

प्रथम चार अपीलों विभाग द्वारा तथा द्वितीय चार कास आज्जेक्षण प्रत्यर्थी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत अपील संख्या क्रमशः 160, 161, 162 163 /आरवेट/श्रीगंगानगर/2012-13 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 31.10.2012 को चुनौती दी गयी है। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के क्रमशः कर निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 व 2009-10 का वेट अधिनियम की धारा 26, 55, 61(1) के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.03.2012 को अपील में चुनौती दिये जाने पर अपीलें स्वीकार की हैं। चारों अपीलों में समान बिन्दु विवादित है तथा प्रत्यर्थी भी एक ही है, अतः एक ही आदेश से निस्तारण किया जाकर आदेश की पृथक-पृथक प्रतियां पत्रावलियों पर रखी जा रही हैं।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण/जांच कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 12.03.2010 को

-३६३-

लगातार.....2

1. अपील संख्या - 821, 822, 823 व 824 / 2013 / हनुमानगढ़.

2. कास आज्जेक्षण - 1534, 1535, 1536 व 1537 / 2013 / हनुमानगढ़.

किये जाने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा ट्रेक्टर या पावर चलित कृषि उपकरण Power Sprayers की वर्ष 2006–07 में बिक्री रु0 98,43,639/- तथा उसके पार्ट्स व एसेसरीज की बिक्री रु0 10,41,101/-, वर्ष 2007–08 में बिक्री रु0 1,15,93,170/- व रु0 25,76,486/-, वर्ष 2008–09 में बिक्री रु0 1,19,87,501/- व रु0 23,98,952/- व इसी प्रकार वर्ष 2009–10 में बिक्री रु0 2,43,51,537/- व रु0 24,23,508/- को कृषि उपकरण दर्शाते हुए करमुक्त घोषित की है। क्रमशः Power Sprayers व पार्ट्स व एसेसरीज की करमुक्त घोषित की गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि पावर स्प्रेर्स व उसके पार्ट्स व एसेसरीज वेट अधिनियम की अनुसूची-I के प्रविष्टि संख्या 1(क)–(14) व (29), 1(ख) व 1(ग) में से किसी प्रविष्टि में कवर नहीं होने के कारण करमुक्त नहीं होकर अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 1 व अनुसूची-V के तहत क्रमशः 4 प्रतिशत व 12.5 प्रतिशत से कर योग्य है। इसलिए आलौच्य अवधियों में यह टर्नओवर Escaped मानते हुए पृथक–पृथक आदेश दिनांक 20.03.2012 को पारित करते हुए वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत कर, धारा 55 के तहत ब्याज व धारा 61 के तहत शास्ति निम्न प्रकार आरोपित की गई :—

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	कुल
1	821 / 13	160 / 2012–13	06–07	52384	340535	1047768	1912187
2	822 / 13	161 / 2012–13	07–08	785413	416262	1570826	2772501
3	823 / 13	162 / 2012–13	08–09	939369	385153	1878738	3203260
4	824 / 13	163 / 2012–13	09–10	1448179	419978	2896538	4764515

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए अपीलें स्वीकार की हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी का समर्थन करते हुए कथन किया कि वेट अधिनियम की अनुसूची-I

के कृषि उपकरणों की सभी श्रेणियों (a), (b) & (c) में शक्ति चालित उपकरणों की सूची में Power Sprayers, Parts & accessories को शामिल नहीं किया गया

है, इसलिए Power Sprayers वेट अनुसूची-IV की प्रविष्टि 1 के अनुसार 4 प्रतिशत से कर योग्य है तथा पार्ट्स व एसेसरीज अनुसूची-V के अनुसार 12.5

प्रतिशत से करयोग्य हैं, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज व शरित उचित आरोपित की गई है, जिसकी अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर विधिक

1 अपील संख्या – 821, 822, 823 व 824 / 2013 / हनुमानगढ़.

2 कास आब्जेक्शन – 1534, 1535, 1536 व 1537 / 2013 / हनुमानगढ़.

भूल की है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पूर्व में पारित अपील संख्या 2330 व 2331 / 2011 निर्णय दिनांक 11.12.2012 का हवाला देते हुए कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण के तथ्य एवं हस्तगत प्रकरण के तथ्य समान है तथा माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त प्रकरण में सभी विधिक बिन्दुओं को मध्यनजर रखते हुए तथा विस्तृत विवेचन करते हुए आदेश पारित किया है। अतः इन निर्णय के आलोक में, हस्तगत प्रकरणों को स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान अवगत कराया कि अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये कास-आब्जेक्शन, कास आब्जेक्शन न होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी का जवाब है क्योंकि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की समस्त अपीलें स्वीकार कर ली गई थी। अतः इन चारों कास आब्जेक्शन को भी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी कृषि उपकरणों का व्यापार करता है। वेट अधिनियम की अनुसूची-I के शीर्षक (a) Ordinary Agricultural implements : की प्रविष्टि संख्या 14 के अनुसार Sprayer, duster and sprayer-cum-duster करमुक्त वस्तुएं हैं तथा प्रविष्टि संख्या 29 में इनके पार्ट्स व एसेसरीज हैं। ये कृषि उपकरण व्यवहारी द्वारा राज्य के ही पंजीकृत व्यवहारियों से करमुक्त क्रय किये गये हैं। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि उक्त प्रविष्टि के अनुसार स्प्रेयर, डस्टर तथा स्प्रेयर कम डस्टर साधारण मैन्यूअल कृषि उपकरण हैं। इनका उपयोग मैन्यूअल किया जावे या पावर से किया जावे, प्रविष्टि में विहित नहीं किया गया है। इसलिए ये वस्तुएं तथा इनके पार्ट्स व एसेसरीज भी क्रमशः प्रविष्टि संख्या 14 व 29 के तहत करमुक्त हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से इन पर क्रमशः 4 प्रतिशत व 12.5 प्रतिशत करारोपण किया गया है तथा अपीलीय अधिकारी ने भी इन करारोपण आदेशों की पुष्टि की है। स्प्रेयर, डस्टर व स्प्रेयर कम डस्टर के आशय को विकिपीडिया में वर्णित परिभाषा से स्पष्ट किया है कि -

"In Agriculture, a sprayer is a piece of equipment that spray nozzles to apply herbicides, pesticides & fertilizers to agricultural corps. Sprayer range in size from non portable unit (typically back parts with spray guns) to self propelled units."

-३६३-

लगातार.....4

1 अप्रैल संख्या - 821, 822, 823 व 824 / 2013 / हनुमानगढ़.

2 कास आज्जेक्शन - 1534, 1535, 1536 व 1537 / 2013 / हनुमानगढ़.

विद्वान अभिभाषक ने NABARAD के "Farm Machinery and Primary Processing" के तहत Sprayer का उपयोग करना बताया है कि -

"Sprayers are used to spray insecticides and pesticides on the crops for plant protection. Under the scheme, two manually operated and one power operated sprayers are considered."

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने प्रविष्टि नं 30, जिसमें स्प्रिंकलर सिस्टर का वर्णन है, के आधार पर कथन किया कि स्प्रिंकलर सिस्टम व ड्रिप सिस्टम को भी चलाने के लिये पावर की ही आवश्यकता होती है, फिर भी इसी शीर्षक में करमुक्त है। आगे स्पष्ट किया कि स्प्रेयर एक आईटम है, जिसके सब-आईटम नेपसेक स्प्रेयर (Knapsack sprayer) Rocker sprayer, Hand compression sprayer, ULV sprayer, Battery sprayer व Power sprayers उनके उपयोग व चलाने के तरीके के आधार पर नामित किये गये हैं, लेकिन सभी स्प्रेयर्स हैं, जो कि प्रविष्टि संख्या 14 में करमुक्त हैं।

विद्वान अभिभाषक ने माननीय मुख्यमंत्री के बजट भाषण दिनांक 9.3.2007 के बिन्दु संख्या 200 पृष्ठ संख्या 87 को उद्धरित किया है कि -

"The sprayers used in agriculture are presently exempt from tax. I propose to exempt parts and accessories of sprayers in the interest of farmers."

विद्वान अभिभाषक का कथन है कि माननीय मुख्यमंत्री ने भी शक्ति चालित व अन्य स्प्रेयर्स में कोई अंतर नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री के बजट भाषण से स्प्रेयर के पार्ट्स व एसेसरीज को करमुक्त घोषित किया गया है। Promissory Estoppel के सिद्धान्त के अनुसार भी इन पर करारोपण नहीं किया जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के स्टेट ऑफ पंजाब बनाम नेस्ले इण्डिया लिंग (2004) 2 वेट रिपोर्टर 20 का हवाला दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के यूपी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बनाम किसान उपभोक्ता परिषद के निर्णय (2008) 9 वेट रिपोर्टर 1 अनुसार भी कृषि उपकरण मानव द्वारा अपने हाथों/पैरों या पशु या शक्ति से चालित उपकरण शामिल करते हुए अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या 14 व 29 अनुसार करमुक्त होना कथन किया है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अनुसूची-I के शीर्षक को स्पष्ट करते हुए कथन किया कि मुख्य शीर्षक है -

Agricultural implements manually operated or animal driven, or tractor or power driven, spare parts and accessories thereof, namely. का आशय सभी प्रकार के उपकरण करमुक्त हैं। इनके उपशीर्षक (a) के अन्तर्गत

-३१२-

लगातार 5

1 अपील संख्या – 821, 822, 823 व 824 / 2013 / हनुमानगढ़.

2 कास आब्जेक्शन – 1534, 1535, 1536 व 1537 / 2013 / हनुमानगढ़.

Ordinary Agricultural implements में मैन्यूअली या शक्ति चालित का कोई अन्तर नहीं किया गया है तथा शीर्षक से पूर्व Namely शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका आशय भी वर्णित सभी आईटम्स करमुक्त हैं। विद्वान अभिभाषक ने अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1981) 47 एस.टी.सी. 337 स्टेट ऑफ तामिलनाडू बनाम केसीराजा नदर का हवाला दिया है। प्रत्यर्थी अभिभाषक द्वारा उक्त आधारों पर अपीलें अस्वीकार किये जाने तथा अपीलीय निर्णय को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया। वेट अधिनियम की अनुसूची-I का भी अवलोकन किया गया। अनुसूची-I की कृषि उपकरणों से सम्बन्धित विवरण इस प्रकार है :-

S.No.	Description of Goods	Conditions if any
1.	<p>Agricultural implements manually operated or animal driven or tractor or power driven, spare parts and accessories thereof, 'Namely'-</p> <p>(a) Ordinary Agricultural implements :</p> <p>1. Hand Hoe (Khurpa or Khurpi); 2. Spade; 3. Gandasa; 4. Pick i.e. khudali; 5. Axe; 6. Khanta; 7. Belcha; 8. Patela; 9. Hand-driven chaff cutters and their parts (except bolts, nuts and springs); 10. Sickle; 11. Beguri; 12. Hand wheel doe; 13. Horticultural tools like budding, grafting knife, secateur, pruning shear or hook, hedge shear; sprinkler, rake; 14. Sprayer, duster and sprayer-cum-duster; 15. Soil injector; 16. Jandra; 17. Wheel barrow; 18. Winnowing fan or winnower; 19. Dibbler; 20. Puddler, 21. Fertilizer seed broadcaster; 22. Maize Sheeller; 23. Groundnut decorticator; 24. Manure or seed screen; 25. Flame gun; 26. Seed grader; 27. Tasla (includes Ghamela, Tagari and Parat, made of ferrous metal; "27A. Crowbar (Sabbala)" 28. Tangli; 29. Sprayer including their parts and accessories; 30. Parts and accessories specific to the sprinkler system and drip irrigation system including pipes which are used exclusively for sprinkler and drip system (but not used for ordinary works as carriage pipes.)</p>	
	<p>(b) Animal driven agricultural implements:</p> <p>1. Plough including disc-plough; 2. Teeth of the plough; 3. Harrow; 4. Cultivator; 5. Seed drill, fertilizer drill, seed-cum-fertilizer drill; 6. Tiller with or without seeding attachment; 7. Landleveller or scoop; 8. Chaff cutters and their parts (except bolts, nuts and springs); 9. Axles and rims of animal-driven vehicles; 10. Persian wheel and spare parts; 11. Roller; 12. Yoke; 13. Planter; 14. Plank or float; 15. Ridger; 16. Ditcher; 17. Bund former; 18. Thrasher or palla; 19. Transplanter; 20. Reaper; 21. Mower; 22. Sugar can crusher; 23. Cane juice boiling pan and grating; 24. Cart.</p>	
	<p>(c) Tractor or Power Driven Agricultural Implements :</p> <p>1. Thrasher. 2. Chaff cutters and their parts (except bolts, nuts and springs). 3. Winnowing, 4. Disc plough. 5. Cultivator. 6. Harrow. 7. Tillers with or without seeding attachments. 8. Seed drills. 9. Land levelers. 10. Trolley of tractor.</p>	

1 अपील संख्या – 821, 822, 823 व 824 / 2013 / हनुमानगढ़.

2 कास आब्जेक्शन – 1534, 1535, 1536 व 1537 / 2013 / हनुमानगढ़.

उक्त अनुसूची के अनुसार मानव चालित, पशु चालित या ट्रेक्टर या शक्ति चालित प्रविष्टि में अंकित नामजद कृषि उपकरणों को करमुक्त घोषित किया गया है। उपशीर्षक (a) के तहत साधारण कृषि उपकरण हैं, जिनमें क्रम संख्या 14 व 29 पर स्प्रेयर, डस्टर तथा स्प्रेयर कम डस्टर का तथा उनके पेयर पार्ट्स व एसेसरीज को अंकित किया है, लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा पावर स्प्रेयर व उनके पार्ट्स का विक्रय किया गया है। पावर चालित कृषि उपकरण प्रविष्टि के उपशीर्षक (c) के तहत वर्णित हैं, जिनमें प्रत्यर्थी द्वारा विक्रय किये जाने वाला पावर स्प्रेयर शामिल नहीं है। कृषि उपकरणों की सूची Namely से प्रारम्भ होती है, जिसका आशय है कि वर्णित उपकरणों के अलावा कोई भी उपकरण कृषि उपकरणों के रूप में इस प्रविष्टि के तहत करमुक्त नहीं है। (1981) 47 एस.टी. सी. 337 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने Namely शब्द के अर्थ को निम्न प्रकार वर्णित किया है :—

"Consequently there can be no doubt about the meaning of the word "namely", that is, it is restrictive in the sense that the general expression which precedes the word "namely" is confined to the itemized expressions that follow the word "namely". Consequently the meaning of the word "namely" can only be restrictive and can be neither illustrative nor expansive."

ऐसी स्थिति में पावर स्प्रेयर वेट अधिनियम की अनुसूची-IV की क्रम संख्या 1 अनुसार 4 प्रतिशत से कर योग्य है तथा पार्ट्स व एसेसरीज अनुसूची-V के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का तर्क रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में स्प्रेयर के पार्ट्स को भी कृषि उपकरण की प्रविष्टि में कर मुक्त घोषित किया गया है। यहां माननीय मुख्यमंत्री का आशय साधारण स्प्रेयर्स के पार्ट्स व एसेसरीज से है। प्रत्यर्थी द्वारा बिक्रीत माल स्प्रेयर्स साधारण स्प्रेयर नहीं होकर पावर स्प्रेयर्स है, जो कि उक्त विवेचनानुसार कर योग्य वस्तु है। यहां Promissory Estoppel का बिन्दु प्रासंगिक ही नहीं है।

प्रत्यर्थी द्वारा कर योग्य माल को करमुक्त घोषित किया गया है, जिसके कारण पावर स्प्रेयर्स की बिक्री पर करारोपण होने से बच गया (escaped) है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत पुनः कर निर्धारण उचित किया गया है।

उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधियों में बिक्रीत माल पावर स्प्रेयर तथा उसके भाग व उपकरण अनुसूची-I की प्रविष्टि-1 के किसी

-३१३-

लगातार.....7

1 अपील संख्या – 821, 822, 823 व 824 / 2013 / हनुमानगढ़.

2 कास आब्जेक्शन – 1534, 1535, 1536 व 1537 / 2013 / हनुमानगढ़.


उपशीर्षक में नामजद उपकरणों में शामिल नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी उनकी बिक्री पर क्रमशः 4 व 12.5 प्रतिशत से करारोपण विधिसम्मत किया गया है तथा समय पर कर जमा नहीं होने के कारण वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज भी उचित आरोपित किया गया है।

आलौच्य अवधियों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवंचन के आरोप में शास्तियां भी वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित की गई है, जो कि विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि व्यवहारी की लेखा-पुस्तकों में समस्त विक्रय व्यवहार इन्द्राजित है तथा आवृत को विवरणियों या लेखा-पुस्तकों में छिपाया भी नहीं गया है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स श्री कृष्ण इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य एवं अन्य के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अतः वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त किये जाते हैं।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी विभाग की चारों अपीलें क्रमशः 821 से 824 / 2013 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त की जाती है तथा वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत आरोपित कर व धारा 55 के तहत आरोपित ब्याज की पुष्टि की जाती है।

जहा तक प्रत्यर्थी द्वारा पेश किये गये कास आब्जेक्शन संख्या 1534 से 1537 / 2013 का प्रश्न है उक्त कास आब्जेक्शन अपील न होकर प्रत्यर्थी का जवाब है अतः उक्त चारों कास आब्जेक्शन सारहीन होने से निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

-३६२
(बी के मीणा)
अध्यक्ष